वृद्ध लोगों कीआर्थिक समस्याओं के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

अपने भविष्य की संभाल करना

अपने पैसों और कामों की संभाल करने का अधिकार हर बालिग़ व्यक्ति को होता है। परंतु कभी कभी उम्र बढ़ने के कारण यह योग्यता कम हो जाती है। ऐसा किसी रोग, अपंगता या दुर्घटना के कारण हो सकता है, परंतु इसके लिए तैयार होने के लिए आप कई काम कर सकते हैं।

यदि आप या आपके निकट का कोई व्यक्ति इस दौर से गुज़र रहा या रही है, तो आप कानूनी सलाह लेने के बारे में विचार करें। कोई सोलिस्टर काम सही ढंग से करने और भविष्य के लिए आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में आपकी मदद कर सकता है। इन कामों में वसीयत लिखने से लेकर पावर ऑव अटारिनी (आपके स्थान पर काम करने का कानूनी अधिकार) देने लिए कोई व्यक्ति चुनने तक के काम शामिल हो सकते हैं – यदि इनकी ज़रूरत हो।

इससे, आपके किसी ऐसे संबंधी या देखरेख करने वाले का बोझ हल्का हो सकता है जिसके लिए आपकी ओर से फ़ैसले करना कठिन काम हो सकता है।

जहाँ सावधानी वाले ये काम करने के लिए काफ़ी समय न हो, या यदि वह व्यक्ति पहले ही से 'असमर्थ' (अपने आर्थिक कामों को संभालने के अयोग्य) हो चुका या चुकी हो, तो आम तौर पर उसके किसी संबंधी को सलाह लेने की ज़रूरत होती है। इन हालतों में, कई कामों में से कोई एक चुना जा सकता है। एक काम है कोर्ट ऑव प्रोटेक्शन के साथ संपर्क करना, जो उस व्यक्ति के आर्थिक कामों को संभालने की व्यवस्था करवा सकती है। सोलिस्टर आपको बता सकता है कि आपके लिए कौनसा काम सबसे अच्छा है।

सोलिस्टर ढूँढना

यदि आपका कोई सोलिस्टर नहीं है, आप अपने इलाके के सोलिस्टरों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारी इस वेबसाईट पर जाएं – www.lawsociety.org.uk/findasolicitor या हमें नंबर 0870 606 2555 पर फ़ोन करें।

सोलिस्टर को किन बातों के बारे में पता होना चाहिए–

यदि आप ग्राहक हैं, तो सोलिस्टर को इन बातों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए –

- क्या आपने वसीयत की है या नहीं;
- ज़रूरत होने पर आप अपने कामों को संभालने के लिए किसे चुनेंगे;
- आपकी संपत्ति और आमदन कितनी है;
- क्या आपकी कोई ख़ास इच्छाएं हैं कि आपकी संपत्ति और पैसों की संभाल कैसे की जाए;
- क्या आपकी सेहत से संबंधित कोई ख़ास बात है? (यदि ऐसा है तो उन्हें आपके डाक्टर के साथ बात करनी होगी)।

यदि आप किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए सलाह ले रहे हैं, तो सोलिस्टर को पहले उस व्यक्ति से यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या वह सोलिस्टर से आवश्यक जानकारी लेना चाहता या चाहती है। यदि सोलिस्टर को जानकारी के बारे में विचार करने का अवसर मिल जाए तो वह आपको समझा सकता है कि कौनसे कामों में से आप अपने लिए सही काम चुन सकते हैं। ये काम हैं –

आम पावर ऑव अटार्नी (आम मुख़तारनामा)

यह कानूनी ढंग है जिससे आप किसी व्यक्ति को यह अधिकार देते हैं कि वह आपके आर्थिक कामों को उस समय संभाले जब ये काम संभालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, शायद किसी शारीरिक असमर्थता के कारण। आम तौर पर आप यह काम किसी ऐसे व्यक्ति को संभालते हैं जिस पर आपको विश्वास हो, जैसे कोई निकट संबंधी, मित्र या सोलिस्टर आपका 'अटार्नी' बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अटार्नी वाले अधिकार 'ले' नहीं सकता। ये अधिकार आप अपनी इच्छा से उसे 'देते' हैं। अधिकार देने वाला/वाली यह फ़ैसला करता/करती है कि वह किसे अटार्नी बनाए, और वह किसी समय भी इस प्रबंध को समाप्त कर सकता/सकती है।

पावर ऑव अटार्नी उसी हालत में लागू हो सकती है यदि आपको पता हो कि इस प्रबंध का अर्थ क्या है। यदि आप मानसिक तौर पर अपने कामों को संभालने के अयोग्य हो जाएं, तो पावर ऑव अटार्नी समाप्त हो जाएगी।

लास्टिंग पावर ऑव अटार्नी (स्थाई मुख़तारनामा)

लास्टिंग या स्थाई पावर ऑव अटार्नी आम पावर ऑव अटार्नी से एक कदम आगे तक जाती है, क्योंकि यह स्थाई या 'चलती रहने वाली' होती है, उस समय भी जब आप किसी रोग, अपंगता, दुर्घटना के कारण अपने कामों को संभालने के अयोग्य हो जाएं – कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए। लास्टिंग पावर ऑव अटार्नी ने अब एन्ड्यूरिंग पावर ऑव अटार्नी का स्थान ले लिया है, परंतु 1 अक्टूबर 2007 से पहले दी गई हर वैध एन्ड्यूरिंग पावर ऑव अटार्नी चलती रहेगी। परंतु 1 अक्टूबर 2007 के बाद कोई एन्ड्यूरिंग पावर ऑव अटार्नी नहीं दी जा सकती।

लास्टिंग पावर ऑव अटार्नी तब वैध मानी जाती है यदि यह पावर या अधिकार देते समय आप इस प्रबंध का अर्थ पूरी तरह से समझते हों। सर्टीफ़िकेट देने वाले/वाली को एक सर्टीफ़िकेट पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं जिस पर लिखा होता है कि पावर ऑव अटार्नी देने के लिए आप पर दबाव नहीं डाला गया।(सर्टीफ़िकेट देने वाला/वाली वह होता/होती है जो आपको कम से कम दो वर्षों से जानता/जानती है और जिसके पास यह पहचान करके की ख़ास महारत होती है कि किसी व्यक्ति की योग्यता समाप्त हो गई है)। यदि अटार्नी को संपत्ति और पैसों की संभाल करने की ज़िंमेदारी संभालनी है तो यह अनिवार्य है कि उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और वह दीवालिया न हो। किसी एक समय पर एक से अधिक अटार्नी बनाए जा सकते हैं।

आपकी अटार्नी तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक इसे ऑफ़िस ऑव द पब्लिक गार्डीअन के पास रजिस्टर नहीं किया जाता, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके अटार्नी को उसकी ज़िंमेदारियों के बारे में पता हो और वह आपके हित में अधिक से अधिक काम करे। ऑफ़िस ऑव द पब्लिक गार्डीअन ऑफ़िस ऑव द पब्लिक गार्डीअन को रजिस्टर करने की फ़ीस लेता है।

निजी तथा भलाई के बारे में फ़ैसले

एक अलग लास्टिंग पावर ऑव अटार्नी द्वारा आपके अटार्नी को अधिकार दिया जा सकता है कि यदि भविष्य में आप आपकी निजी भलाई और डाक्टरी इलाज के बारे में फ़ैसले करने के अयोग्य हो जाएं तो आपकी ओर से ये फ़ैसले अटार्नी कर सके।

लास्टिंग पावर ऑव अटार्नी सही ढंग से तैयार करने और इसे रजिस्टर करवाने, और इसे निश्चित तौर पर अथारिटी देने वाले के अधिक से अधिक हित में रखने ले लिए सबसे अच्छा ढंग किसी सोलिस्टर से सलाह लेना है।

कोर्ट ऑफ़ प्रोटेक्शन

यदि कोई व्यक्ति किसी को स्थाई पावर ऑव अटार्नी दिए बिना ही मानसिक तौर पर असमर्थ हो जाए, और यह फ़ैसला अनौपचारिक ढंग से न किया जा सके, तो यह मामला कोर्ट ऑफ़ प्रोटेक्शन के पास ले जाया जा सकता है। अदालत यह फ़ैसले उस व्यक्ति की ओर से स्वयं कर सकती है, या फिर अदालत उस व्यक्ति के फ़ैसले करने का काम किसी व्यक्ति को संभाल देती है, जिसे 'डिप्टी' कहते हैं। यदि अदालत संपत्ति के प्रबंध और आर्थिक कामों को लगातार चलाने के लिए कोई डिप्टी नियुक्त करे, तो डिप्टी को हिसाब किताब रखने, सैक्युरिटी बौंड भरने, तथा ऑफ़िस ऑफ़ द पब्लिक गार्डीयन के पास रिपोर्ट पेश करने का काम करना पड़ता है। कोर्ट ऑफ़ प्रोटेक्शन एक बार फ़ीस लेती है और ऑफ़िस ऑफ़ द पब्लिक गार्डीयन डिप्टी के काम का निरीक्षण करने का ख़र्च पूरा करने के लिए वार्षिक फ़ीस लेता है।

वृद्ध लोगों कीआर्थिक समस्याओं के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

अप्वांटीशिप

यदि असमर्थ हो गए व्यक्ति को रिटायरमेंट पेन्शन या अन्य सरकारी बैनीफ़िट लेने का अधिकार है, तो डिपार्टमेंट ऑव वर्क पेन्शनज़ ये बैनीफ़िट लेने का काम संभालने की ज़िमेदारी किसी 'अप्वांटी' को संभाल सकता है। यह अप्वाइंटी कोई संबंधी, मित्र या देखरेख करने वाला कर्मचारी (जैसे लोकल अथारिटी के सोशल सर्विसिज़ विभाग का कोई कर्मचारी) हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति के असमर्थ होने का सबूत माँगा जाएगा, जैसे डाक्टर का नोट। इस सेवा के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते।

अन्य आर्थिक समस्याएं

सोलिस्टर अन्य बहुत सी आर्थिक बातों और समस्याओं के बारे में सलाह दे सकता है जिनका प्रभाव वृद्ध लोगों पर पड़ता है। जैसे –

- ऐक्विटी-रिलीज़ स्कीमें जिनके द्वारा आप अपने घर में लगाए गए कुछ पैसे निकाल सकते हैं;
- लंबे समय की देखरेख के लिए पैसों की व्यवस्था;
- वसीयत द्वारा मरने के बारे संपत्ति का प्रबंध या जीवनकाल में उपहार देना; या
- यदि आपको शक हो कि किसी वृद्ध व्यक्ति के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है।

ख़र्चे

विभिन्न सोलिस्टर वसीयत तैयार करने की फ़ीस भी अलग अलग लेते हैं, जो इस बात पर निर्भर होगी कि आपको कितनी सलाह और मदद की ज़रूरत है। सोलिस्टरों की किसी ख़ास फ़र्म का चुनाव करने से पहले, आप हमेशा यह मालूम करें कि उनके दफ़्तर तक पहुँचना कितना आसान है, और कानून के इस ख़ास क्षेत्र में उस फ़र्म का अनुभव कितना है। परंतु केवल ख़र्च के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए; ऐसे सोलिस्टर के पास जाना भी उतना ही ज़रूरी है जिस तक पहुँच करना आसान हो और जिसकी बात आप समझ सकें।

अधिक जानकारी

यह पर्चा सोलिस्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली आम कानूनी सेवाओं के बारे में पर्चों की शृंखला में से एक पर्चा है। इस शृंखला के पर्चों की लिस्ट नीचे दी गई है। ये पर्चे आप अपने सोलिस्टर से ले सकते हैं या ला सोसाइटी को नम्बर 0870 3333 084 पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं।

- वसीयत करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- आपका अपना घर ख़रीदने के बारे में आपके लिए जानकारी
- तलाक लेने के बारे में आपले लिए जानकारी
- काम पर आने वाली मुश्किलों के बारे में आपके लिए जानकारी
- कारोबार शुरू करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- निजी चोट का मुआवज़ा माँगने के बारे में आपके लिए जानकारी
- वृद्ध लोगों की समस्याओं के बारे में आपके लिए जानकारी
- अपने साथी के साथ घर बसाने के बारे में आपके लिए जानकारी
- अपना मकान किराये पर देने के बारे में आपके लिए जानकारी
- घर किराये पर लेने के बारे में आपके लिए जानकारी
- सोलिस्टर का उपयोग करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- प्रोबेट (वसियत की सरकारी जाँच पड़ताल) के बारे में आपके लिए जानकारी
- असाईलम (आश्रय) के लिए अर्ज़ी देने के बारे में आपके लिए जानकारी

यह पर्चा आप बड़े अक्षरों या ब्रेल में, सुनने वाली टेप पर, और सी डी पर भी मंगवा सकते हैं। यदि यह पर्चा आपको इनमें से किसी रूप में चाहिए, तो कृपया हमारे साथ इस ईमेल पते पर संपर्क करें – accessibility@lawsociety.org.uk, या हमें नंबर 0870 606 2555 पर फ़ोन करें।

यह पर्चा आप विभिन्न भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी इस वेबसाईट पर जाएं – www.lawsociety.org.uk.

Lexcel
Look for Lexcel - the mark of excellence

यद्यपि सही जानकारी देने की हमने पूरी कोशिश की है, परंतु कानून हमेशा बदलता रहता है, और इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार का होता है।
यह पर्चा आपके बारे में विशेष सलाह का स्थान नहीं ले सकता, और यदि आप केवल इसी पर्चे पर निर्भर रहेंगे, तो इसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

Designed by dmlmarketing.co.uk Version 2, 2007 Your guide to financial matters for the elderly - Hindi